भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3495

सोमवार, 08 अगस्त, 2022 / 17 श्रावण, 1944 (शक)

तंबाकू कामगारों का कल्याण

3495. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तंबाकू कामगारों के कल्याण के लिए कोई योजना बनाई है या बनाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की उन्नति और कल्याण के लिए एक श्रम कल्याण योजना विद्यमान है। इस योजना के तीन घटक हैं नामत: स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) स्वास्थ्य: देश भर में स्थित 285 औषधालयों और 10 अस्पतालों के नेटवर्क के साथ बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, क्षय रोग, हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण, हर्निया, एपेंडेक्टोमी, अल्सर, स्त्री रोग और प्रोस्टेट रोगों के मामले में सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के तहत विशेष उपचार के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

(ii) छात्रवृत्ति: बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को कक्षा-I से कॉलेज/विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए कक्षा/पाठ्यक्रम के आधार पर 1000/- रुपये से 25,000/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता का प्रावधान।

(iii) आवास: परिशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) के तहत अपने पक्के घरों के निर्माण के लिए 25:60:15 के अनुपात में अर्थात क्रमश: 37,500 रुपये, 90,000 रुपये और 22,500 रुपये की तीन (03) किस्तों में 1,50,000/- रुपये (प्रति लाभार्थी) की आर्थिक सहायता। आरआईएचएस को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ समाहित कर दिया गया है।

*****